ट्रेन हुई साढ़े 6 घंटे लेट

● इंदौर।

ऋषिकेश से लक्ष्मीबाई नगर आने वाली ट्रेन संख्या 14310 उज्जैनी एक्सप्रेस गुरुवार को करीब साढ़े 15 घंटे की देरी से इंदौर पहुंची। इसके कारण इसी रैक से संचालित होने वाली ट्रेन संख्या 14309 लक्ष्मीबाई नगर-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस भी निर्धारित समय से करीब साढ़े 6 घंटे देरी से रवाना हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋषिकेश से आने वाली ट्रेन का लक्ष्मीबाई नगर पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 6.05 बजे था, लेकिन यह रात करीब 9.40 बजे पहुंची। ट्रेन लगातार रास्ते में देरी से चलती रही और अधिकांश स्टेशनों पर 15 से 17 घंटे तक लेट दर्ज की गई। ट्रेन के देर से पहुंचने के कारण उसी रैक से जाने वाली 14309 एक्सप्रेस, जो दोपहर 3.25 बजे लक्ष्मीबाई नगर से ऋषिकेश के लिए रवाना होना थी, वह रात 9.55 बजे रवाना हो सकी। यात्रियों ने बताया कि वे दोपहर में ही स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन ट्रेन के बार-बार लेट होने और सही जानकारी नहीं मिलने से घंटों स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। इस दौरान लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर रिनोवेशन और निर्माण कार्य चलने के कारण बैठने और रुकने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं मिल सकी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ और अव्यवस्था के चलते बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कई यात्रियों का कहना था कि यदि रेलवे पहले ही ट्रेन के लंबे विलंब की स्पष्ट सूचना दे देता तो वे देर से स्टेशन आते और घंटों परेशान नहीं होते। यात्रियों ने रेलवे की सूचना व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।

Bank of India — रिश्तों की जमापूंजी Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय : स्टार हाउस, प्लॉट 9-आरसी, स्कीम नं. 134, एम.आर.-10, स्टार चौराहे के पास, इन्दोर - 452010, फोन 2445122-117-147

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है ''** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 25.06.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमशः दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 25.06.2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रू.) (6)	ईएमडी (7)
शाखा : सतवास	**श्री मन्नू हैमर गोगिया** **पता:** मकान नम्बर 54, महालक्ष्मी नगर कॉलोनी, वार्ड नम्बर 8, सतवास, इंदौर रोड, सतवास, तहसील सतवास, जिला देवास (म. प्र.)	संपत्ति का समस्त भू भाग व अशं मकान नंबर 54, महालक्ष्मी नगर कॉलोनी और वार्ड नंबर 8, सतवास, इंदौर रोड, सतवास तहसील सतवास जिला देवास (म.प्र.) में स्थित है। खसरा नंबर 476/1/3 पैकी का भाग, प्लॉट नंबर 54, **बिल्ट अप एरिया 750 वर्ग फीट** (लंबाई पूर्व-पश्चिम 50 फीट, चौड़ाई उत्तर-दक्षिण 15फीट), श्री मन्नू हैमर गोगिया के नाम पर, **चतुर्सीमा - पूर्व:** कॉलोनी रोड, **पश्चिम :** पटेल साहब की खेती की ज़मीन, **उत्तर:** कॉलोनी प्लॉट नंबर 53, **दक्षिण:** कॉलोनी प्लॉट नंबर 55	₹ 20.09.2025 **9,25,696.23** + ब्याज एवं अन्य खर्च	22.01.2026 सांकेतिक	₹ **14.54** लाख	₹ **1.46** लाख
शाखा: मूसाखेड़ी	**श्रीमती उषा अशोक कटारिया (उधारकर्ता)** **श्री अशोक देवीलाल कटारिया (सह-उधारकर्ता एवं बंधककर्ता), पता: (1.)** 94/1 सरवारा नगर, परदेशीपुरा के पास, इंदौर (म.प्र.), **(2.)** 54, न्यू अंजनी नगर स्कीम नं. 54, इंदौर म.प्र., **(3.)** मकान नं. 03 तिरूमति पैलेस, निपानिया इंदौर म.प्र. 452003	साम्यिक बंधक संपत्ति प्लॉट नंबर 54 न्यू अंजनी नगर, इंदौर विकास प्राधिकरण योजना नम्बर 54 के पास, इंदौर तहसील और जिला इंदौर म.प्र., कुल क्षेत्रफल = 83.60 वर्ग मीटर, **चतुर्सीमा:- पूर्व:** प्लॉट नंबर 51 न्यू अंजनी नगर, **पश्चिम:** रोड, **उत्तर:** प्लॉट नंबर 53 न्यू अंजनी नगर, **दक्षिण:** प्लॉट नंबर 55 न्यू अंजनी नगर	₹ 15.12.2025 **11,45,202.02** + ब्याज एवं अन्य खर्च	04.04.2026 सांकेतिक	₹ **22.42** लाख	₹ **2.25** लाख
शाखा: गुरुनानक टिम्बर मार्केट	**(1) श्री मुकेश पाहुजा, (2) श्रीमती नेहा पाहुजा, (3) श्री नितिन पाहुजा (जमानदार) सभी का पता:** फ्लेट नम्बर 202, शिव वंदना अपार्टमेंट, 40-41 सिल्वर पैलेस कॉलोनी, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर (म. प्र.)-452009	फ्लेट नम्बर 202, दुसरी मंजिल, शिव वंदना पैलेस, जी/पी+3+पीएच स्टोरी फुली रहवासी बिल्डिंग, प्लॉट नं. 40 एवं 41, सिल्वर पैलेस कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.), **क्षेत्रफल एस.बी.ए. 950 वर्ग फीट, संपत्ति मालिक:** श्रीमती नेहा पाहुजा और श्री मुकेश पाहुजा, **चतुर्सीमा: पूर्व:** प्लॉट नम्बर 39, **पश्चिम:** कॉमन पेसेज फिर अन्य फ्लेट, **उत्तर:** रोड, **दक्षिण:** फ्लेट नम्बर 201	₹ 03.09.2024 **23,42,864.45** + ब्याज एवं अन्य खर्च	01.09.2025 सांकेतिक	₹ **19.60** लाख	₹ **1.96** लाख
शाखा: कन्नोड	**श्रीमती मनीषा बाई एवं श्री शरद कुमार गुर्जर** **पता:** सर्वे नम्बर 358/3 इंदौर-नेमावर रोड ग्राम-नानासा, तहसील- कन्नौद, जिला- देवास, म. प्र.	**संपत्ति मालिक का नाम-** श्रीमती मनीषा बाई पति श्री शरद कुमार गुर्जर संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश सर्वे नम्बर 358/3, इंदौर-नेमावर रोड, ग्राम नानासा, तहसील कन्नोद, जिला देवास, म.प्र., क्षेत्रफल 1560.00 वर्ग फुट, **चतुर्सीमा: उत्तर में:** उदय सिंह का भूखंड, **दक्षिण में:** इंदौर-नेमावर रोड, **पूर्व में:** सुनील का भूखंड, **पश्चिम में:** राम सिंह का मकान	₹ 15.11.2022 **6,74,835.68** + ब्याज एवं अन्य खर्च	22.01.2026 सांकेतिक	₹ **12.80** लाख	₹ **1.28** लाख
शाखा : देवास नाका	**श्रीमती राजकुमारी खुमान सिंह चौहान (मृतक) कानूनी उत्तराधिकारी :1. श्रीमती विष्णुकांता राजपूत** **2. श्री ओमप्रकाश राजपूत**	रहवासी फ्लेट नं. एफ-708, टाइप-डी, पहली मंज़िल, 'राजीव आवास विहार', आईडीए स्कीम नं. 114, भाग 1, इंदौर; क्षेत्रफल 34.45 वर्ग मीटर, **संपत्ति मालिक:** श्रीमती राजकुमारी खुमान सिंह, **चतुर्सीमा :- पूर्व :-** फ्लेट नं. 710, **पश्चिम :-** खुला, **उत्तर :-** फ्लेट नं. 706, **दक्षिण :-** खुला	₹ 15.11.2025 **6,92,613.44** + ब्याज एवं अन्य खर्च	19.02.2026 सांकेतिक	₹ **8.40** लाख	₹ **0.84** लाख
शाखा: रामचंद्र नगर	**श्री हनीश पवन अजमेरा (उधारकर्ता)** **श्रीमती कुसुमलता पवन अजमेरा (जमानतदार/बंधककर्ता),** **पता:** प्लॉट नंबर 88 गांधी नगर सी स्पेशल, बड़ा बांगड़दा, गांधी नगर, इंदौर, म.प्र.	**संपत्ति मालिक का नाम -** श्रीमती कुसुमलता पवन अजमेरा आवासीय संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश प्लॉट नम्बर 88, गांधी नगर सी स्पेशल, बड़ा बांगड़दा, गांधी नगर, इंदौर, म. प्र., क्षेत्रफल 1800 वर्ग फुट, **संपत्ति मालिक:** श्रीमती कुसुमलता पवन अजमेरा (जमानतदार), **चतुर्सीमा: पूर्व:** स्वीपर लाइन, **पश्चिम:** सड़क, **उत्तर:** प्लॉट नम्बर 89, **दक्षिण:** प्लॉट नम्बर 87	₹ 25.07.2023 **5,76,139.67** + ब्याज एवं अन्य खर्च	28.09.2023 सांकेतिक	₹ **75.50** लाख	₹ **7.55** लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com** बोलीकर्ता **https://baanknet.com**, नियम व शर्तो की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।

ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25 % (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।

बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25 % (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।

सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के भीतर जमा किया जाना होगा।

डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।

इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू 1 % की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोडने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक : 22.05.2026, स्थान: इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया

(1) This Amount is payable within 15 days from the date of Invoice.
(2) Please E-mail us at DakshpublicityAdvertising@gmail.com for any billing objection with
receipt of the Invoice. Otherwise it would be deemed
(3) Payment